

**प्राचार्य कार्यालय,
राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना।
कार्यालय आदेश**

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-6940 दिनांक-17.04.2026 द्वारा ससमय कार्यालय आने, कार्यालय अवधि में मनोयोग से सरकारी दायित्वों का निर्वहन करने एवं कार्यालय अवधि की समाप्ति के बाद ही कार्यालय छोड़ने के प्रावधान का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

उक्त के आलोक में राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना के सभी पदाधिकारी, पी0जी0 स्कॉलर एवं कर्मचारी (नियमित/संविदागत/बाह्यश्रोत) को निदेश दिया जाता है कि सुबह 10:00 बजे तक कार्यालय आना एवं शाम 05:00 बजे के बाद ही कार्यालय छोड़ना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही कार्यालय अवधि में मनोयोग से सरकारी दायित्वों का निर्वहन करना भी सुनिश्चित करेंगे, ससमय कार्यालय नहीं आने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


इसे अति आवश्यक समझा जाय।

ह0/-

प्राचार्य

राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल
पटना।

ज्ञापांक- सं0सं0-GTC/M1- 58/2022- 935 पटना, दिनांक- 24-04-2026
प्रतिलिपि:- सभी पदाधिकारी, पी0जी0 स्कॉलर एवं कर्मचारी (नियमित/संविदागत/बाह्यश्रोत), राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- नोटिस बोर्ड, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना पर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सम्बंधित Official Whatsapp Group में सूचनार्थ प्रेषित।


प्राचार्य

राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल
पटना।